#### JHARKHAND ANTI TRAFFICKING NETWORK

## SECRETARIATE: - SPARK, RAMZAN COLONY, KANTATOLI, RANCHI-834001 (JHARKHAND)

# QUARTERLY PROGRESS REPORT DECEMBER 2022 TO FEBRUARY 2023

Project Title: - "Promoting safe mobility and counter trafficking in Jharkhand"

TO
BRITISH ASIAN TRUST

#### **Introduction and Key Achievements:**

It was 1999, the Jharkhand Anti Trafficking Network, a network of CSOs that deles with problems linked with safe migration, women's rights, gender issues, violence against women, and gender equality (earlier south Bihar). We nowadays are engaging in Thirteen districts throughout the state of Jharkhand thru the Thirteen network partner organizations, covering one handred and thirty villages of Schedule Tribe, Schedule Caste, Backward Caste, and Minority Class populations, with the aid of the British Asian Trust. We too have one judicial and case management assistance organization to help those affected by human trafficking and violations of women's rights.

We developed migrant forums in each of the one hunderd and thirty villages that are participating in the initiative to guarantee that women's rights remain the network's top concern while supporting safe migration and preventing trafficking. Engaging men, women, boys, and girls promote comprehension of the difficulties around safe migration. Participants of the organization work as transformational leaders for gender issues and safe migration.

Women's collectives and SHGs are addressing trafficking issues in communities and are aware about topics such as safety, migration, gender, and violence. Women's collectives and SHGs address trafficking concerns in their communities and raise awareness about issues like as safety, migration, gender, and abuse. They have worked tirelessly to create strong connections with government agencies in order to take advantage of the benefits afforded by government facilities. The organisations have received funding to help women in gaining eligibility for government services, and they have shown to be effective at the block level. A group of women speaking out in their society and in block offices. They are launching an awareness-raising campaign to educate people about women's challenges. They are always on the lookout for any inconsistencies in how strategies and facilities are executed at the local level. The women from minority, backward Cast, and tribal background have become constantly conscious of the difficulties and asking their rights from the appropriate authorities.

Women and girls nowadays are informed about the regulations and rules related to women, and they are exercising their rights and entitlements. Women and girls are banding together to put an end to violence and protect women's rights. The girls are advocating for their education future and marriage; they are against to child and underage marriage and are encouraging others not to marriage as minors. The women and girls' group seems to be more effective, focusing on topics such as safe migration, domestic violence, and child marriage. In addition, the women and girls attend various social activities such as SMC meetings and gramm sabha session.

The migrant forum is currently being reorganized and established. Women and girls, community representatives, community members, future migrants, returning migrants, frontline workers, and community representatives make up the group. While the training for the migrant forum will take place on a quarterly basis, the forum's meetings began on a monthly basis. Women's rights, safe migration, and violence against women were among the subjects addressed at the migrant forum sessions. They also discussed legislation concerning women and mobility.

In their respective communities, the Thirteen agencies operate as information centers for human trafficking, women's rights, and safe migration. Individuals and members of the community in the block or region are receiving essential information about safe migration, violence against women, and government programmes.

The Jharkhand Anti-Trafficking Network is committed to enhancing the capabilities of its members, with outreach teams such as Gender at Work and Civil Society Academy assisting in this endeavor. A consistent process is ongoing in areas such as organizational growth, leadership development, sustainability, fund-raising, networking, and advocacy. Important concerns discussed at meetings cover safe migration, women's rights, network functioning, rules, and so on. Internal network expansion occurs on a regular basis.

Involving the government stackholder and policymakers are one of the primary targets of the Jharkhand Anti-Trafficking Network, a state-wide network. The present engagement objectives have included the proper implementation of labour laws and the Jharkhand women's policy. The monetary assistance for enforcing the legislation is also insignificant. We work in partnerships with women's organisations to address the issue. We participate in policy-level engagement with the government among other state organizations addressing women's problems. There are women's and girls' collectives in one hundred and thirty villages. At the block and district levels, these organizations typically campaign for their rights and entitlements. In addition, we keep constant interactions with the AHTU, Mahila Thana, Jharkhand Women Commission, DLSA, and WCD officials to address issues of trafficking and violence against women in the district and state.

Meetings with women's organization, the kishori group, and frontline workers emphasized the topic of child marriage and child marriages. These concerns are still being investigated, but women and other partners have begun to speak out against female child marriage. They will be able to complete their schooling and begin their employment.

#### Activity wise progress during the period (December 2022 to February 2023):

Name of the organization: 13 organizations of 13 districts

Reporting period: 01 December 2022 to 28<sup>th</sup> February 2023

Project area: -13 districts of Jharkhand state

No. of Villages: **Total 130 villages** 

**Project: - "Promoting safe mobility and counter trafficking in Jharkhand"** 

Sl. No	Activity conducted	Issue discussed	No. of	No. o	No. of participant		Output	Achievement against output	Supporting and non-supporting factors
•	during the period		unit	M	F	T		agamst output	lactors
1	Women's collective/SHG Meeting	Discussion on developing financial literacy and budgeting skills and understand about "safe migration".  Empowerment of women. Gender equality.  Livelihood options.  Migrant laborers  Issus of Domestic workers	154	181	1726	1907	Safe Mobility Women's self- help group get learnt about the safe migration, women's right, Migrant laborers, livelihood schemes. Awareness about the importance of Safe Migration, and will disseminate information in community level regarding	Understanding about safe migration. As an achievement providing numbers of widow pension, old age pension, eshram card etc. and also understanding was established for the respect of domestic violence child, female domestic worker among women, as well as	Supporting factors: Community people and women are participating in the meetings actively, Well rapport with community, Support of local SHG, PRI etc.  Also women show their engagement also they share their thoughts one by one.  Non-Supporting Factors: Superstition, Poor access of Govt. facilities.

2.	Kishori group meeting	Key issues discussed on the topic "Women's right, Child marriage, Health and education issues of girls. Safe migration and Trafficking",	100	7	1340	1347	The girls they understood about "Safe migration and Trafficking", Child marriage, health, hygiene Education, employment and career building.	As an achievements adolescent girl are aware about child marriage, child trafficking is a curse for the society and they started discussing this subject at their meeting, and they aware about their rights complete their education and then go for employment.	Supporting factor: Groups was so eager to participate and wanted to work in this as a volunteer. The parents of the girls also supporting them on their thoughts.  Non-Supporting Factors: Lack of positive environment in the villages, and their participation in domestic work also.
3	Formation of migrant forum	Formation of new migrant forum and reorganization of old migrant forum.	130	1780	2385	4165	Safe and unsafe migration differences and it is also the movement which makes differences between legal and illegal terms.	Awareness about safe and unsafe migration.	Supporting factor: The community returnee migrants and potential migrants, PRI members, frontline workers, Sahiya, Sewika, Sahayika, and SHG leaders are supporting.  Non-Supporting Factors: Local traffickers
4	Migrants forum meeting monthly	Major issues that lead to trafficking and how it could be prohibited and turns into safe migration process.  Laws related to safe mobility, Migrant laborers, Govt. program and schemes.	238	888	2751	3639	Awareness about the safe migration, people came to know about the forum and actively interacted throughout the process about the forum. Came to know about safe migration and trafficking, and	Large number of people joined the meeting and shown their interest in the forum. Now community people are talking about their rights.	Supporting Factor: People actively participating in the meetings. Also getting support from other stakeholders of the village.  Non-Supporting Factor: The irregular attendance in the meetings also people leave in between.

							they started asking questions before going anywhere and also asking the address and phone numbers of the touts and Govt. programs and schemes.		
5	Meeting with front line workers	Engagement of Sewika, Sahayika, ANM, Ward member, SHG leader, VLCPC member ASHA, Sahiya, about the meaning of safe migration, Govt. programs and schemes, Migrant laborers, Trafficking.	2	22	44	66	The Frontline workers participated also kept their doubts and incidents happened among them and provided information about vaccination programme and benefit provided through Anganwadi. Information about human trafficking and precautionary measures to be taken to prevent human trafficking was shared. Measures to be taken to	The frontline workers they are supporting the whole process. Consumption of folic acid tablet has been improved among Kishoris. Lactating mothers are regularly taking vaccination.	Supporting factor: Kishori and lactating mother got detailed information about health benefit of consuming Iron, Folic acid tablet, vaccination. Participants knew about distribution of dry ration under ICDS program through anganwadi center. Participants became more informed about preventing their children from traffickers.  Non-Supporting Factor: The community has poor reach of Govt. facilities.

							prevent children from traffickers were also discussed. Role of VLCPC member was also discussed in detail .participated in the discussion actively.		
6	Information center	Govt. schemes, reporting of cases, out migration related issues.  Women's right Trafficking related. Safe Migration related issues. Migrant laborers Laws related to mobility	13	56	157	213	The information related to safe migration, Govt. schemes and women related issues provided to the local community, women and girls.	People are coming to the offices of organizations working as information center and getting relevant information from there.	Supporting Factor: People are coming to the center.  Non Supporting Factor: Delay in the delivery of entitlements like labor registration, issuance of e-shram card, Shramik card, pensions, PM Awas etc.; villagers do not have mobiles due to which they face problems in accessing schemes; There is network problem in villages which create problem in contacting with villagers; Touts miscommunication with migrant villagers and take them to several places for work sometimes causes severe consequences. New IEC materials not available.
7	Training to migrant Forum at village level quarterly.	Issues discussing in Promoting safe migration in collaboration with village level stakeholders in village training and pre migration information through information centers prevent labor,	86	575	1597	2172	People of villages and people of Safe migration have aware about safe migration, empowered become awaremake the community aware with	Village level training has spread awareness among the people, knowing the rights, people have been able to discuss among the officials.	11

		registration and domestic violence discussing in information centers.					supportive environment creation in favor of survivors		
8	Workshop/ training with migrant forum at panchayat level.	Discuss the problems of domestic violence with other stakeholders of the villages by adding the head of the panchayat	10	126	266	392	Making a strategy for safe migration at the Panchayat level and advocacy as per the need	Panchayat level training has expanded the works of the project among the panchayat stakeholders. following issues-Precautions and steps of safe mobilityTracking RegisterCommunity Awareness -To create supportive environment in favor of Survivors To make strategy in favor of safe migration and How to Avoid Middleman's Trick Advocacy as per need.	Supporting Factor: Local stakeholders like AWWs, PRIs, and SHG Leaders, panchayat workers are actively participating in the sessions and planning for joint effort.  Non supporting Factor: - Some of the stakeholders, local traffickers and Middleman do not support in practice.
9	Workshop/ training with migrant forum at Block level.	Participants in the programme at the block level included two representatives from each village and block level stakeholders.	4	35	150	185	Two volunteers from each village ready to convince others for safe migration process, the registration and E-Shram card.	The village volunteers are ready to avail their rights and for safe migration concept.	Supporting Factors:- The block level stakeholders, govt. officials and leaders of migrant forum are supportive in safe migration process.  Non Supporting Factors:-

10	Workshop/ training with migrant forum at District level	To spread the idea of safe migration in the district, a workshop at the district level was held with the migrant forum, stakeholders, government officials, and the media.	4	60	123	185	For effective implementatio n of the laws related to women and safe migration the broader area covered through district level workshop including media, labor department and stakeholders other NGOs and Networks.	At district level the concept of safe migration popularized and the govt. functionaries sensitized on the issue. The media also sensitized on safe migration concept.AHTU, Labor department are sensitized.	Supporting Factors:- The Other NGOs Networks, Media, District Govt. officials are sensitive and supporting the initiative taken by JATN.  Non Supporting factors:-
11	Community meeting	Registration, safe migration, govt provision, Govt schemes	1	12	10	22	Registration, safe migration, govt provision, Govt schemes	People are aware about safe and unsafe migration. Gender issues they are talking about their rights.	Supporting Factor: All the support from communities were there in the meetings.  . Non-Supporting Factor: Regular meetings required with the community.
12	Case work (Social/Legal)	Registration, safe migration, govt provision, Govt schemes.	23				To support and advocate as per need.	Case counseling, issues identification and case follow up etc.	Supporting Factor: Cases of VAW, Domestic violence, Trafficking, Witch noticed during the period. Non-Supporting Factor: Legal complications.
13	School level Programs	Discussion in school on safe migration/ Health	3	29	103	132	Prow aiding the awareness, about safe migration, govt Govt schemes	People are aware about safe and unsafe migration. Gender issues they are talking about their rights.	Supporting Factor: Found all the community's and stakeholders' support for promoting our goals and objectives was obtained. School administration supported our program  Non-Supporting Factor: More events with students are in demand.
14	COVID -19 related work	Awareness on COVID-19, COVID relief Services, Vaccination	40		1000	1000	The needy people they got some relief during vaccine and people are	Fear about the vaccine is over and people are now going to take booster doses.	<b>Supporting factor:</b> The CBOs at village level and frontline workers they are supporting also the community people supported the program.

				tal	w going to e booster ses.		Non-Supporting Factor: Reamer against vaccination.
15	Monitoring and Saport servisess visit	The JATN members visited during last quarter and found very useful.		an be du an su	en discussed ring the visit	work culture of the	Supporting Factors:- All the member organizations welcome the visit and cooperated.  Non Supporting Factors:


Apart from the above some online and offline meetings and workshops we done with British Asian Trust, Gender at work etc. during the quarter December 2022 to February 2023.

- 12 to 15 December 2022 face to face Advocacy workshop with Gender at work in Genista Inn
- 4 Jan 2023 Face to Face meeting with Asar in samvad office.
- 29 Jan 2023 Face to Face meeting with Asar in CSS office in haramu.
- 1 Fabruary 2023clean air workshop with Asar in Chanakya BNR
- 6 Feb 2023 cor committee meeting in madhupur prena bharati office.
- 18 Feb 2023 JATN state meeting at SDC Ranchi.
- 19 Feb 2023 child labour workshop in XISS.
- 24 Feb 2023 workshop with CREA in Chanakya BNR.
- 28 Feb 2023 state level meeting in SPARK office.
- Zoom meeting with APPI

#### TOTAL NUMBER OF ACTIVITY AND PARTICIPANTS

Activity	Unit	Total No. Male	Total No. of Female	Total No. of participant
Women's collective/SHG Meeting	154	181	1726	1907
Kishori group meeting	100	7	1340	1347
Formation of migrant forum	130	1780	2385	4165
Migrants' forum meeting	238	888	2751	3639
Meeting with front line workers	2	22	44	66
Information Centre	13	56	157	213
Quarterly training to migrant forum at village level	86	575	1597	2172
Workshop with migrant forum at Panchayat level	10	126	266	392
Training workshop with migrant forum at block level	4	35	150	185

Training workshop with migrant forum at district level	4	60	123	185
Community meeting	1	12	10	22
Case work (Social/Legal):	23			
School program	43	29	103	132
COVID -19 related work	40	1000		1000
Monitorning and Saport servisess visit	2			
	850	4771	10652	15425



The aforementioned information refers to all activities and the total number of units, and male female participation Promoting safe mobility and counter trafficking in Jharkhand.

#### **Description of activities:**

• Women's collective/SHGs Meeting:During the meeting discussion about Objectives of SHG, Concept of SHG and Formation process was shared, Benefits, Internal credit and theft system. Bank and credit linkages, Income generation activities, how to maintain Books of Accounts, Employment and income generation at local level has been discussed in details in the SHG meeting, also regarding safe migration, women right, trafficking, child marriage. The laws related to safe migration and precautions taken for safe migration also discussed in the meetings. While gender-sensitive pre-departure preparation, workshops and messages that educate women on safe

migration can help women workers to make informed decisions about migration, we must also acknowledge that the onus must never exclusively be on the migrant women to stay safe but on the perpetrators not to abuse and on the processes to be transparent and effective and for all involved to commit to safe migration. The village women are now understanding about their rights to move one place to another and also, they are coming forward to take the Govt. facilities available in the area.

- **Kishori group meeting:** In the meetings of the kishori group, the main discussion on their issues with education, health, and child marriage was also safe migration and trafficking issue discussed. The kishori group is also an existing group and via this group also the safe migration promoted in the area. An overview of the subject of "Safe Migration" Being a female or teenager has been observed to be a significant risk factor for being trafficked, yet this finding is increasingly being questioned when it comes to cases of extreme exploitation and abuse. Kishori groups are starting to take on a leadership position in the region.
- Formation of migrant forum: Currently, we are directly working in 130 villages, where we have established migrant forums made up of village residents, potential migrants, returning migrants, village leaders and stakeholders, frontline workers (sahiya, sewika, sahayika, ANM, etc.), and others. People move to other locations, primarily to brick clins, other states, and cities, for domestic work, and this migration is dangerous. Movement that is dangerous and/or in some way against the law in pre-exploitations and awareness programmes, it has been widely accepted that migration that is dangerous is more likely to result in trafficking. After creating this forum, we informed the participants about safe migration.
- **Migrants' forum meeting:** Meetings of the migrant forum are scheduled and organized on a monthly and quarterly basis, and training sessions are held to discuss the primary problems that lead to human trafficking and how to prevent it and make migration into a safe procedure. Programs and strategies are considered at sessions of the migrant forum.
- Meeting with front line workers: ASHA, sahiya, and sewika discussions about the idea of safe migration ASHA, sahiya, and Jalsahiya are the warriors at the grass-roots level who we wanted to promote and encourage. We need a deeper look into the reorganization of care work to address the multiple forms of discrimination and barriers faced by women in access to and delivery of care, with an important first step of integrating care into public services and public policy. Frontline staff members are supporting the project and educating women and girls on safe migration procedures and their legal rights.
- **Information Centre:** Each of the 13 groups serves as a resource for information on women's rights and safe movement. The information centers inform the public, women, and girls about topics linked to safe migration. tied to trafficking Labor migrants, laws governing movement, women's rights, COVID-related issues, and government initiatives. People from the zones visit the organization's office or center to obtain pertinent information about safe migration and women's issues.
- Training to migrant forum at village level: During the training of migrant's forum at village level we have conducted training programmes for migrant forum in the targeted villages with the participation of Local AWWs, Sahiyas, Ward Members and SHG Leaders. Precautions and steps for safe mobility, Creation of Supportive environment for survivors and need of coordinated effort are main discussion points in the training programme. also, the stakeholders are showing their interest in the issue.
- Workshop with migrant forum at Panchayat level: During the workshop with migrant forum at panchayat level we have conducted Panchayat level Training programme. During this issue discussed safe migration, important a factor that helps for migration. Livelihood etc. with the present of members of migrant forum, Local AWWs, Sahiya, and SHG Leaders were present in the training programme. Precautions and steps of safe mobility, Creation of Supportive environment for survivors, need of coordinated effort, Convergence of Govt. programmes and livelihood options were the main discussion points in the training session.

- Workshop with migrant forum at Block level: During the period 4 workshops with migrant forum at block level organized. During this issue discussed safe migration, important a factor that helps for migration. Livelihood etc. with the present of members of migrant forum, Local AWWs, Sahiya, and SHG Leaders were present in the training programme. Precautions and steps of safe mobility, Creation of Supportive environment for survivors, need of coordinated effort, Convergence of Govt. programmes and livelihood options were the main discussion points in the training session. The Govt. officials and Media participated in the workshop.
- Workshop with migrant forum at District level: 4 workshops organised with migrant forum at district level during the period. Safe migration, important a factor that helps for migration. Livelihood etc. with the present of members of migrant forum, Local AWWs, Sahiya, and SHG Leaders were present in the training programme. Precautions and steps of safe mobility, Creation of Supportive environment for survivors, need of coordinated effort, Convergence of Govt. programmes and livelihood options were the main discussion points in the training session. At distict level workshop stakeholders like PRI members, DLSA, Govt. officials, NGOs and Networks, Media, AHTU, Mahila Thana participated in the workshop.
- Community meeting: -As an achievement during the community meeting finding that people are aware about safe and unsafe migration. Gender issues they are talking about their rights.
- Case work (Social/Legal): -Some examples of trafficking and rights violations surfaced during the safe mobilety intervention in the area. These cases were reported by network members, who also offered them counselling and legal support.
- **School level programs:** The school program done in schools and discussed about safe migration and child marriage related issues with students goirls and boys. The teachers also involved in the process and they are helpful.
- **COVID -19 related work: -** Regular follow-up for vaccination and Covid-19 precautions in meetings are necessary since people are reluctant to have a booster shot yet are afraid of Covid.

#### **CASE STORY / BEST PRACTICES**

## केस स्टडी- 1

सरवाईवर का नाम – अनुरागिनी कुमारी (वास्तविक नाम) आयु – 16 वर्ष महिला/ पुरुष/ट्रांसजेंडर/अन्य – महिला दिव्यांग- नहीं धर्म – सरना जाति – अनुसूचित जन जाति पिता का नाम – जुगेश उरांव माता का नाम - जयंती उरांव उर्फ़ जानकी पता - मौसी बाड़ी ,जगरनाथपुर गाँव - मौसी बाड़ी ,जगरनाथपुर पंचायत - ब्लॉक - रांची शहरी क्षेत्र जिला - रांची फ़ोन नं.- 9835061787,8434435903 द्वितीय पक्ष नाम - कुलदीप महतो

आय् – 22 वर्ष

धर्म – हिन्दू

जाति - अन्य पिछड़ा वर्ग

पिता का नाम – बलराम महतो

माता/पत्नी का नाम -

पता - ठाकुरगांव ,उरगुट्टू

गाँव - ठाकुरगांव

पंचायत - उरगुट्टू ब्लॉक- बुढ़मू जिला – रांची

फ़ोन नं.- 6299654695,9006665708

केस का प्रकार - पॉक्सो मामला के अंतर्गत

घटना का संज्ञान (केस आपके पास किस माध्यम से पहुँची) -

पीड़िता के परिवार जिसमे उसकी माता - पिता और वह स्वयं भी संस्था के कार्यकर्ता के साथ संस्था में अपनी घटना लेकर आयी थी।

तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचय - श्रीमती शालिनी संवेदना ,सचिव ,लोकस्वर, श्री गुंजन बेदिया, समन्वयक, लोकस्वर एवं श्री प्रिंस कुणाल, समन्वयक, लोकस्वर

सामाजिक/ क़ानूनी हस्तक्षेप -

सामाजिक हस्तक्षेप:

- 1. पीड़िता के लिए सुरक्षित स्थान स्थापित करना और उन्हें परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना रहा।
- 2. पीड़िता को उपलब्ध कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपाय किया गया।
- 3. चिकित्स्य सहयता प्रदान कराने में मदद किया गया।

## कानूनी हस्तक्षेप:

- 1. पीड़िता के लिए कानूनी सहायता और वकालत सेवाओं प्रदान किया गया।
- 2. प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता प्रदान किया गया।

संस्था द्वारा हस्तक्षेप – संस्था द्वारा पीड़िता को सहायता और उचित चिकित्सा, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप प्रदान किया गया, और उनके परिवार को कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के साथ-साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान कर रहा है।

तथ्य शोधन प्रक्रिया - खोज प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल रहे

- 1. पीड़ित, परिवार के सदस्यों, गवाहों और विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार शामिल किया गया , जिसके पास मामले के बारे में प्रासंगिक जानकारी थी।
- 2. बच्चे की सुरक्षा का आकलन किया गया की इसमें बच्चे के लिए जोखिम के स्तर क्या होगी। बच्चे को घर से निकालने, अस्थायी आश्रय में रखने, या वैकल्पिक रहने की व्यवस्था में रखने की आवश्यकता है का आकलन किया गया।
- 3. साक्ष्य का विश्लेषण: इसमें सभी दस्तावेजों, चिकित्सा साक्ष्य और मामले से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी की समीक्षा किया गया।
- 4. कार्रवाई की योजना विकसित करने के लिए बच्चे और अन्य शामिल पक्षों से विमर्श किया गया।
- 5. मामले के सफल समाधान को सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन, सामाजिक सेवाओं, अदालत कर्मियों और अन्य प्रासंगिक एजेंसियों के साथ काम करना शामिल को लेकर चर्चा किया गया एवं रणनीति तैयार किया गया।
- 6. परिणाम का मूल्यांकन: इसमें मामले के परिणाम की समीक्षा और यह निर्धारित करना शामिल रहा कि आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं।

चर्चा का सार- यौन अपराधों के मामले में चर्चा का सार उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना रहा जो यौन अपराधों के शिकार हैं। पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों, अपराधों की रोकथाम और अभियोजन और कानून के प्रवर्तन पर केंद्रित रहा। इस बात पर भी ध्यान दिया गया की एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां बच्चे सुरक्षित और यौन शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्त हो सकें।

सरवाईवर की वर्तमान स्थित - जांच अभी भी चल रही है, तो सरवाईवर मामले में गवाह हो सकता है और गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित होना है। यदि मामला सुनवाई के चरण में पहुंच गया है, तो सरवाईवर एक शिकायतकर्ता हो जाएगी, जो आरोप दाखिलकर्ता के रूप में प्रस्तुत होगी और किसी भी मामले में, सरवाईवर सरकार से कानूनी सहायता और अन्य प्रकार की सहायता, जैसे परामर्श और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने का भी हकदार हो जाएगी।

टीम का अवलोकन - टीम यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करेगी की बाल पीड़ित को सर्वोत्तम संभव सहायता और न्याय मिले और बच्चे को नुकसान से बचाया जा सके एवं आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाये और उसे सुरक्षित वातावरण में गवाही देने का अवसर दिया जाए। टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगी कि अपराधी को जवाबदेह ठहराया जाए और न्याय के कठघरे में लाया जाए। जाँच और परीक्षण के दौरान बच्चे के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा की जाए।

घटना से संबंधित दस्तावेज -

- 1. प्राथमिकी
- 2. घटना की रिपोर्ट
- 3. साक्षियों और पीड़िता के बयान
- 4. मेडिकल रिपोर्ट
- 5. आधार कार्ड

- 6. जन्म प्रमाण पत्र
- 11. पुलिस जांच रिपोर्ट
- 12. घटना की साक्षात्कार वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग

फ़ॉलोअप -

- 1. पुलिस प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर मामले की जांच में कहा पहुंची इस पर संस्था नज़र रखे है।
- 2. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है ये सुनिश्चित किया गया।
- 3. अदालत आरोप पत्र दाखिल किया गया है ये जानकारी जांच अधिकारी से लिया गया।
- 4. पीड़ित को मुआवजा, यदि कोई हो, कानून के अनुसार प्रदान किया जाय इस पर जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है।

#### केस स्टडी- 2

सरवाईवर का नाम - पुतुल लकड़ा (वास्तविक नाम)

आयु – 28

महिला/ पुरुष/ट्रांसजेंडर/अन्य - महिला

दिव्यांग- नहीं

धर्म – सरना

जाति – अनुसूचित जन जाति

पिता/पति का नाम – अजय लकड़ा

माता का नाम -

पता – गाँव - चेने, पोस्ट राजा उलातु, थाना- नामकुम

गाँव - चेने

पंचायत- रामपुर ब्लॉक- नामकुम जिला- रांची

फ़ोन नं.- 8002500699(p.p)

## द्वितीय पक्ष

नाम- अजय लकड़ा

आयु – 32

धर्म – सरना

जाति - अनुसूचित जन जाति

पिता का नाम – जीतू उराव

माता/पत्नी का नाम - पुतुल लकड़ा

पता - गाँव - चेने, पोस्ट राजा उलातु, थाना- नामकुम

गाँव - चेने

पंचायत- रामपुर ब्लॉक- नामकुम जिला- रांची

फ़ोन नं.-

केस का प्रकार - घरेलु हिंसा एवं दूसरी विवाह

घटना का संज्ञान (केस आपके पास किस माध्यम से पहुँची) – कम्युनिटी उत्प्रेरक से सरवाईवर ने संपर्क किया तथ्य शोधनदल के सदस्यों का परिचय- कम्युनिटी उत्प्रेरक श्रीमती बीजो लकड़ा, पता - गाँव - चेने पंचायत- रामपुर ब्लॉक- नामकुम जिला- रांची

फ़ोन नं.- 8002500699

सामाजिक/ क़ानूनी हस्तक्षेप – गांव के ग्राम प्रधान को सूचित किया गया एवं बैठक राखी गयी जिसमे महिला समूह के सदस्य मौजूद थे। निर्णय हुआ की दूसरी महिला के माता - पिता को बुलाया जाय और सारी घटना से अवगत कराया जाय। परन्तु ऐसा न हुआ तो ग्रामीणों ने दोनों का बहिष्कार कर दिया साथ में सम्पति से आधी पुतुल लकड़ा के नाम कर दी गयी।

संस्था द्वारा हस्तक्षेप – कम्युनिटी उत्प्रेरक द्वारा बैठक कर निर्णय लेने के लिए पहल किया गया साथ ही FIR बे दर्ज़ कराया गया.

तथ्यशोधन प्रक्रिया - कम्युनिटी उत्प्रेरक द्वारा बैठक कर निर्णय लेने के लिए पहल किया गया साथ ही FIR भी दर्ज़ कराया गया ग्रामीणों से बात कर जानकारी इकट्ठा किया गया। ग्रामीणों ने मार पिट की घटना की गवाही दी, साथ ही दूसरी महिला भी साथ में पुरे घटना में रही।

चर्चा का सार- विवाहित होते हुए भी आरोपी ने दूसरी स्त्री के साथ रिश्ता रखा जिस कारण घरेलु हिंसा देखा गया। आरोपी को पहले कानूनी रूप से इस पर पहल करनी चाहिए थी। इस पुरे प्रक्रिया में ग्राम प्रधान, महिला समूह के सदस्य एवं महत्वपूर्ण ग्रामीणों से मिला गया ताकि न्याय हो सके।

सरवाईवर की वर्तमान स्थित - पित से अलगाव हो गया है। जमीन का आधा हिस्सा पुतुल लकड़ा को मिल गया है। पुतुल पलायन कर काम की तलाश में दूसरे राज्य चली गयी है।

टीम का अवलोकन - सामाजिक रूप से अलग हुए है ,कानूनी का सहारा लेना चाहिए था।

घटना से संबंधित दस्तावेज - दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया , सिर्फ मौखिक जानकारी दिया गया। हालांकि गांव में आहूत बैठक की कारवाही ग्राम प्रधान के पंजी में दर्ज़ है

फ़ॉलोअप- पुतुल गांव से पलायन कर चुकी है अपने एक बेटे के साथ , संपर्क टूट गया है। अतः संपर्क करने का प्रयास किय जा रहा है।

नोट: सभी के वास्तविक नाम ही दर्ज़ है।

#### केस स्टडी-3

सरवाईवर का नाम कुमारी नेहा -

आयु 17 –वर्ष

महिला महिला – अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष /

दिव्यांग नहीं -

```
धर्म हिन्दू -
```

जाति रविदास –

पिता राम सुरेश – नाम का पति/

माता का नाम देवी केशिय -

पता -

गाँव सायलकलां -

पंचायत हजारीबाग..जिला.... इचाक..ब्लॉक.... बरकाखुर्द...

फ़ोन नं -.9199970415

द्वितीय पक्ष

नाम- राजू कुमार

आयु 24 –वर्ष

धर्म हिन्दू -

जाति सुक –ियार

पिता का नाम महतो परमेश्वर -

माता देवी संजू – नाम का पत्नी/

पता -

गाँव सायलखुर्द -

पंचायत... हजारीबाग..जिला.... इचाक..ब्लॉक.... बरकाखुर्द...

फ़ोन नं -.

केस का प्रकार -

घटना का संज्ञान के फ़ोन को वर्कर केश द्वारा के माता के पीडिता : – (पहुँची से माध्यम किस पास आपके केस) मिला सुचना से माध्यम

तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचय-

संस्था के केश वर्कर बच्चू राम और लीला कुमारी के द्वारा स्पॉट पर जाया गया और माले का लिया गया.

सामाजिक– हस्तक्षेप क़ानूनी /

सामजिक हसक्षेप किया गया.

संस्था द्वारा हस्तक्षेप –

संस्था द्वारा पीडिता के साथ और उनके माता .गया किया काउंसलिंग को पिता-

तथ्यशोधनप्रक्रिया -

केस वर्कर के पास सुचना मिलने के उपरांत संस्था को सुचना दिया गया संस्था से उनके सहयोग के लिए लीला कुमारी को साथ में भेजा गया और मामले की जानकारी ली गई और थाना को सुचना दी गई उपरांत के सुचना . ब को पिता-माता के पक्ष द्वितीय में थाना साथ के तापि-माता के पीडिताुलाया गया और मामले को थाना में ही स्थानीय लोगो के हस्तक्षेप से समझौता किया गया .

#### चर्चाकासार -

पीडिता और द्वितीय पक्ष के द्वारा फ़ोन के माध्यम से संपर्क हुआ और दोनों में दोस्ती हो गई और पीडिता . और लिया कर शादी जाकर में मंदिर झुमरा दिन एक राद्वा पक्ष द्वितीयवहां से फरार हो गया मामला उजागर होने के बाद पीडिता पक्ष के द्वारा संस्था में खबर दिया गया जिसके बाद पीडिता के माता द्वितीय और पिता-के आवेदन ,गया लवायादि आवेदन में थाना द्वारा के पक्ष पीडिता और गया किया बात से पिता— माता के पक्ष अपहर और हुआ दर्ज FIR पर आधारण का चार्ज लगाया गया में थाना द्वारा के पक्ष द्वितीय उपरांत उसके . पक्ष लड़का में उपस्थिति की सदस्य परिषद् जिला और मुखिया के पंचायत स्थानीय जिसमे गया किया पैरवी .था रहा जा किया नहीं स्वीकार द्वारा के पक्ष ड़काल कारण के होने शादी अंतरजातीय .गया बनाया दबाव को और पंचायत प्रतिनिधि के दबाव में केस वर्कर की उपस्थिति में लड़का पक्ष पीडिता को रखने के लिए तैयार हुआ .

सरवाईवरकीवर्तमानस्थित -

पीडिता वर्तमान में लड़का के साथ मुंबई में रहा रही है .

टीमकाअवलोकन -

टीम ने पाया की दोनों पक्ष के साथ दोस्ती के उपरांत मंदिर में शादी कर लिया गया है के रखने लड़का और . .थे रहे कर विरोध इसका कारण के होने अंतरजातीय लड़की अभिभावक उसके लेकिन है तैयार लिए

घटनासेसंबंधितदस्तावेज -

संस्था में दिया गया आवेदन:

फ़ॉलोअप-

वर्तमान में केस वर्कर के द्वारा पीडिता के माताजानकारी कर संपर्क से पिता- लिया जा रहा है.

#### **CASE STORY-4**

District - Gumla

Block - Bharno

Village - Mahadev chaigeri

Details: Girl name surma kumara (changed name), age 16 year old female, father's name - lalit sahu, 38 year, male Child's father reported that her child went out at evening on dated 25.11.2022 but didn't came back home also her father claimed, a man named Kailash kumar, 22 year old male swindled my child and took her along with him, afterwards child father visited police station- Bharno, gave complaints (application letter) to police, but police refuses to lodge complaint, after many attempts police didn't filed complaint. then, our team (community mobilizer) did intervention for lodging a complaint, successfully police officer accepted the complaint and referred her letter to anti-human trafficking unit (AHTU), after, follow-up team found that police started looking after child, team supported family by basic counseling and providing family support.

#### **CASE STORY 5**

District - Gumla

Block - Gumla

Village - Bharwa

Details - Girl name urmila kumara (changed name), 14 year old, father's name - rijhu, village - bharwa, gumla. community mobilize found this case during field visit whereas she found that a man named satyaki say, father's name - late tilbadhari use to molest a girl named urmila by tricking her, he use to call her at his place and raped her, afterwards, this matter came in the panchayat meeting, where sue to shame girl didn't disclosed this matter in-front of anyone and she left the village and went to Kasturba vidhalay, once she had severe stomachache, them hostel caretaker took her to Gumla community health centre, after checkup doctor found that girls is pregnant, whereas

treatment started, hospital team and community mobilize informed and produced child in-front of CWC, then case referred in police station for FIR and process, afterwards, child continued her studies, team provided basic counseling to child and her family members and found earlier child use to stay with her step mother who frequently abuses her verbally and physically, also disclosed that accused named satyaki say is her paternal uncle.

#### केस स्टडी-6

केस स्टोरी उपलब्धि ---2पल्टू मांझी अपने,बांक टीटहीया गावं, देवी राबड़ी— माता, मांझी लाल्टू— पिता, रहता साथ के परिवारहै जिसे| है रहा गुजर से तकलीफ इस से वर्ष 17 पिछले और है विकलांग ही से जनम ये| भी ने किसी लिए इसके कभी पर है जानकारी को सेविका, सिहया में गावं| है नही कोई वाला सुनने या देखने तत्क तो देखा को तकलीफ उसकी और मिले से परिवार इस दौरान के सर्वे जब| किया नही प्रयासाल रिलीफ के लिए बाल विकास परियोजना को पिता द्वारा विल चेयर के लिए एक आवेदन डलवाया गया ओ पी डी सी| संपर्क से प्रभारी चिकित्सा लिए के पेंशन| करेंगी उपलब्ध ही आते चेयर विल पास उनके की दिया आश्वाशन ने के पेंशन उसका और बने सर्टिफिकेट विकलांग तािक है रहा जा किया लिए फॉर्म भरा जा सके आधार इसका| | है गया बन कार्ड

#### केस स्टडी-7

केस स्टोरी विकलांग दो जिसमे गया किया विजित का गावं दौरान के मीटिंग की फोरम माइग्रेंट---( उपलब्धि) इस| है से समूह दिलत पिछड़ा अति परिवार दोनों यह | है रही जा दी जानकारी नीचे बारे जिनके मिले बच्चे सेविक, सिहया दिया नहीं ध्यान भी ने किसी पर परिवार इस में गावंा, वार्ड सदस्य ने इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी था अभाव भी का जानकारी था वंचित से पाने लाभ सरकारी तक अभी कारण जिसके दूसरा है पाती हो नहीं जानकारी इनकों कारण जिसके है जाते चले करने काम में भट्टा इट सभी पुरुष महिला नहीं ध्यान भी कारण के जिम्मेदारी की परिवार दे पाते हैं |

मधुपुर, टीटहीयाबांक- ग्राम, मांझी कजली- माता, मुसहर मोहन-पिता,15-उम्र, कुमारी नालीसो (1) में घर इनके समय के कोविद पिछले| है रहा गुजर से समय मुश्किल काफी परिवार यह| है रहती में देवघर, काम में भट्टा इट पिता। गया जल कुछ सब जिसमें गयी लग आग करता है देखभाल की बच्चो कर रह में घर माँ। %95 कुमारी सोनाली| है नही कुछ पर नाम के सुविधा | है से समूह दलित पिछड़ा अति परिवार यह| है करती विकलांग है और पुरे दिन बिस्तर में रहती है पा बन नहीं कार्ड आधार उसका कारण के होने नहीं सीधा हाथ विकलांग कारण इसके है रहा सर्टिफिकेट भी नही बना चावल किलो 5 दूकानदार पीडीएस पहले के कोविद। चेयर विल एक द्वारा प्रतिनिधि संस्थ। दिया कर बंद भी वो अब लेकिन था देता पर नाम के विकलांग से अपने ने सीडीपीओ जिसे। गया डाला में परियोजना विकास बाल कर लिखवा आवेदन एक से नाम के माँ लिए के जमा ले लिया और आश्वासन दिया गया की पहली खेप में आने वाली स्टोक से उनको तुरंत उपलब्ध किया जायगा से पदाधिकारी चिकित्सा के अस्पताल अनुमंडल लिए के सर्टिफिकेट विकलांग द्वारा प्रतिनिधि संस्था। म उनसे में बनाने सर्टिफिकेट इसका ताकि है रही कर प्रयास का करने संपर्कदद मिल सके क्योंकि देवघर सदर अस्पताल में जाकर बनाने की स्थिति में नही है प्रक्रिया की भरने फॉर्म लिए के पेंसन से जाने बन सर्टिफिकेट | | पाए कर उपलब्ध को बच्ची कर खरीद वाले परिवार चीजे की जरूरत इसकी जिससे | जायगी की

### केस स्टडी-8

नाम-सुनीता तिऊ , 5 वर्ष एवं बासुदेव तिऊ उम्र-7, माता-लिपिका तिऊ ,गाँव-जामिद,पंचायत—जामिद ,प्रखंड - चक्रधरपुर, थाना – चक्रधरपुर, जिला – पश्चिमी सिंहभूम , झारखण्ड,नाम –बलेमा पूर्ती ,उम्र-17 पूर्ती ,पिता – स्व०मंगल पूर्ती ,माता- स्व०सुमी कुई गाँव-मेरमेरा,पंचायत—जामिद ,प्रखंड -चक्रधरपुर, थाना – चक्रधरपुर ,जिला – पश्चिमी सिंहभूम , झारखण्ड के निवासी है | एकल परिवार के बच्चे होने के कारण सारी ज़िम्मेदारी दोनों

बच्चो एवं उनके माँ में बंटा हुआ था | घर में सुनीता और बासुदेव की माँ ही घर को सम्भाली हुई थी जबकि बलेमा अपने मामा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था |

दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को गाँव में ये बात पता चली की सुनीता,बासुदेव और बलेमा जो मेरमेरा गाँव के निवासी है घर छोड़ कर दुसरे शहर चले गए है | माँ के काफी परेशान होने के बाद एवं गाँव में सारे मंचो तक ये बात फैलने के बाद गाँव के हितधारकों के समक्ष ये चिंता का विषय बना सबने अपने कार्यक्षेत्र में बच्चो धुन्धने का प्रयाश किया परन्तु दिसम्बर महीने के अंत सप्ताह में सुरक्षित पलायन मंच का बैठक रखा गया जिसमे सुरक्षित'पलायन मंच के सदस्यों ने सुनीता,बासुदेव और बलेमा की बात रखी तथा उसके मदद हेतु गुजरिश की तब सुरक्षित पलायन मंच के सदस्यों के आपसी समझ के पश्चात मंच के सदस्यों ने सामुदायिक प्रेरक की सहायता लेते हुए विचार विमर्श कर इस मामले की सुचना childline को दी और Childline से समपर्क कर बच्चों को Rescue कर बाल कलयाण समिति मे प्रस्तुत किया गया साथ ही साथ उन सभी बच्चो के परेशानियो का उल्लेख बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के समीप रखा गया जिसके पश्चात बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बच्चों को 10 दिनों के लिए अस्थाई आश्रय दिया गया और चाइल्ड काउंसलर के द्वारा साइको सोशल सपोर्ट दिया गया और बच्चों को सोशल सिक्यूरिटी स्कीम के लिए अप्लाई कराया गया इसके पश्चात उन सभी बच्चों को सही सलामत उनके घरो तक पहुंचा दिया गया | अन्तः सुरक्षित पलायन मंच के बैठकों के कारण ही असुरक्षित पलायन का शिकार होने से सुनीता,बासुदेव और बलेमा बच गए और वो अपना जीवन अपने परिवार के साथ ख़ुशी ख़ुशी व्यतित कर रहे है |

जिसके लिए मै राशिद अख्तर (सामुदायिक प्रेरक) सुरक्षित पलायन मंच के सभी सदस्यो का आभार व्यक्त करता हूँ |||

#### केस स्टडी- 9

नामपरवीन तम्मना - उम्र,24 - योग्यता ,इन्टर – पिता ,अली नौशाद मोहम्मद – स्व – पता बरकंदा ०सा – ,चाईबासा बाज़ार बड़ी टोलीथाना झारखण्ड ,सिंहभूम पश्चिमी- जिला चाईबासा सदर–

तमन्ना परवीन का शादी सात इस्लामी धर्म के अनुसार याकूब- पिता इम्तियाज मोहम्मद को 2019-04-25 शादी,था रहता में दुबई पति उसकी थी हुई में झारखण्ड सिंहभूम पश्चिमी चक्रधरपुर- थाना चक्रधरपुर देवगांव से दुबई समय के घर आया था में घर से तब गए चले दुबई वो जब गए चले दुबई ही बाद दिन दो के शादी | दिया दे तालक उसको थी बीबी एक भी पहले का पति के तमन्ना। गया हो चालू द्वरा के सास ननद गलौज गली इम्ति ने तमन्ना वास्ते इसी करेंगे नहीं शादी कभी हम और उससे की था बोला को तमन्ना और थायाज से शादी की उसका पहले बीबी पर बच्चा भी है तमन्ना का पति दुबई से अक्टूबर को तमन्ना और आया भारत को 2020 ब्यातित जीवन दम्पति साथ के पति उसके तमन्ना आया ले घर अपना वापस से चाईबासा को 2020-10-25 सास एंव पति जानकारी की बात इस गई हो गर्भवती दौरान उसी थी रही कर ननद को बताई जिस पर तमन्ना के पति सास ननद ने बोला अभी बच्चा पैदा करने की क्या हड़बड़ी है और पति ने कहा की दावा खा लो जब मैंने मना किया तो गुस्सा होने लगे फिर उसने किसी तरह से जबरदस्ती दावा खिलाया दावा खाने के के बाद पेट में दर्द हुआ और गर्भपात हो गया उसके बाद तमन्ना ने अपने सास ननद को बतायी की मेरे साथ मेरे पति ने ईयसे किया तो उन लोगों ने कहा की हम लोंगों की मर्जी से हुआ है तब फिर उनके द्वरा घरेलु उपचार करा कर तमन्ना को ठीक करा दिया गया घटना के लगी रहने में ससुराल तमन्ना गए चले दुबई पति बाद के सप्ताह 1 ताना लगाकर आरोप का तरह तरह भगनी एव ननद दोनों ससुर चाचा ससुर-सास बाद के बीतने माह 1 करीब रहने तरह की महारानी में घर हमारे और लाई नहीं भी रुपया एक में दहेज़ एंव बर्तन जेवर की लगी मारने न आओ ले सामान के जा की कहा ने पति तो बताई को पति ने तमन्ना जब बात सारी ये | लगीहीं तो वो लोग वैसे ही करेंगे तुम सामान लाओ वरना घर मत आओ |

तमन्ना का घर में न भाई है और ना पिता माँ बुडी है बिकलांग है ये सारी बात सुनने के बाद तमन्ना ने माँ को बताई तो माँ ने चंदा करके कुछ पैसा इकट्टा करी और जेवर लेकर ससुराल वापस गई तो ससुराल में देखि की और दूसरी कोई लड़की है पूछी तो उसने बताई की ये पहले वाली पत्नी है अभी यही रहेगी तमन्ना ने बोली की इसकी तो तालक हो गया था वो क्या कर रही है पित ने कहा की इसकी तालक नहीं हुआ है तो तमन्ना ने पित

को कहा अपने तो तालक की कोपी हमको दिखाए तो वो क्या था पर कहने इतना, मेरे ननंद सौतन ने मिल कर हमको मारा मेरा पति मुझे मार खिला रहा था कहा की तमन्ना तो, देगें रहने तभी आओ कर ले रुपया लाख 1 परामर्श परिवार एवं केंद्र सुचना संचालित द्वारा के मंच विकास महिला सूजन लिए के न्याय होकर परेशान ने का परामर्श तो दी आवेदन एक में केंद्र सत्र दिनांक 2022/1773-संख्या केस को 2022-11-1पर रखा गया जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर पूछा गया तो लड़के ने बताया की मेरे दूसरी पत्नी तमन्ना भी पहले भाग गई थी मुझे पता रहने पर भी मैंने शादी की लेकिन उसकी माँ का बात को लेकर चाईबासा में ही रहती है घर अपना | देवगांव में कभी रहने नहीं खोजती है कहती है की मैं सास ससुर का सेवा नहीं करूँगीं और ये गर्भपात वाली बात झुट है कभी गर्भ ठहरा ही नहीं तो गर्भ पात कैसे हुआ अनंत परामर्शदाता लेकर को बातों सारी इन्ही। है अपराध कानूनन करवाना गर्भपात की बताया ने प्रधान 1860 के तहत भारतीय दंड सहित की धारा 312 दी सजा की कैद की साल सात उसे है करवाता गर्भपात का महिला किसी जानबूझकर व्यक्ति जो अनुसार के A 498 धारा लिए के दहेज़ और है जातीहै इस धारा पर व्यक्ति को हो ही दोनों जुर्माना और सजा साल 3 प महिला भी किसी है अपराधी लोग आप | है सकतार मारपीट करना प्रताड़ित करना गलत है कानून सब ये , में साथ को पक्षों दोनों जताई सहमत की रहने में साथ ने तमन्ना हुए स्वीकारते गलती अपनी बाद के सुनने धरा को बातों पुरानी की बताई ने खातून नर्गिस मोहदाया सचिव बाद इसके, गई दी सलाह की रहने कर मिलजुल मिलजुलकर कर भूल रहें नहीं तो सबों को दिक्कत होगी दहेज़ की जिक्र नहीं होना चाहिए दोनों पक्षों को एकरारनामा कराकर हस्ताक्षर लेकर दोनों पक्षों को घर भेज दिया गया अभी दोनों पति पत्नी हंसी खुंसी रह रहे है |

केस स्टडी-10

सरवाईवर का नाम कुमारी पूजा -

आयु 22 –वर्ष

महिलापुर /ुष महिला – अन्य/ट्रांसजेंडर/

```
दिव्यांग नहीं -
धर्म हिन्दू -
जाति सुकियार -
पिता मेहता प्रसाद जुगल – नाम का पति/
माता का नाम देवी दुलारी -
पता बरकाखुर्द -ग्राम -
गाँव बरकाखुर्द -
पंचायत हजारीबाग...जिला..... इचाक ..ब्लॉक....बरकाखुर्द ....
फ़ोन नं -.८५२१४५६६६३
द्वितीय पक्ष :
नाम कुमार विकास -
आयु 22 -
धर्म हिन्दू -
जाति सुकियर –
पिता का नाम मेहता प्रसाद रामचंद्र -
```

माता देवी गीता – नाम का पत्नी/

पता -

गाँव बरकाखुर्द -

पंचायतज...... इचाक ..ब्लॉक......बरकाखुर्द ...िला..... हजारीबाग...

फ़ोन नं - अज्ञात

केस का प्रकार क़ानूनी हिंसा यौन -

घटना का संज्ञान – (पहुँची से माध्यम किस पास आपके केस)

ग्राम बरकाखुर्द में बैठक के दौरान पीडिता की माता के द्वारा केस प्राप्त हुआ .

तथ्यशोधनदलकेसदस्योंकापरिचय -

केश वर्कर -बच्चू राम एवं संस्था से ज्योत्स्ना वर्मा केस तथ्य शोधन के लिए गए.

सामाजिक– हस्तक्षेप क़ानूनी /

घटना के उपरांत दोनों पक्ष से बात किया गया एवं घटना की वास्तिवक जानकारी ली गई साथ के पीडिता. द का शादी जब ,था रहा जा किया शोषण यौन द्वारा के लड़का देकर लालच का शादीबाव लड़की के द्वारा डाला गया तो शादी करने से लड़का इनकार कर गया और बाहर प्रदेश चला गया पंचायत पर तौर सामाजिक. शादी का दोनों लेकर साथ को पिता के लड़के पहले कर बैठक साथ के लोगों मुख्य स्थानीय और प्रतिनिधि ने संस्था जिसका गया लिया द्वारा के समाज निर्णय का करवाने विरोध किया और क़ानूनी प्रक्रिया में जाने के

लिए कहा गया ऊपर के पक्ष द्वितीय और गए हो तैयार लिए के जाने में प्रक्रिया क़ानूनी पिता माता के पीडिता . .गया किया दर्ज मामला का शोषण यौन

## संस्था द्वारा हस्तक्षेप -:

संस्था द्वारा पीडिता के साथ काउंसलिंग किया गया साथ ही उनके माता पिता के साथ भी काउंसलिंग किया गया और उन्हें केस करने में मदद किया गया साथ ही पीडिता को मानसिक रूप से मजबूती के साथ केस को जारी रखने के लिए बीच .है रहा जा बोला में बीच-

#### तथ्यशोधनप्रक्रिया -

पीडिता और द्वितीय पक्ष के साथ पूर्ण जानकारी लेना स-्थानीय लोगो के साथ बैठक का आयोजन करना उसके पीडिता के माता .गया किया दर्ज केस से सहयोग के पिता-

चर्चाकासार दिन एक को लड़की ,है रहा जाता किया संपर्क से फ़ोन पहले द्वारा के लड़का साथ के पीडिता - उस देकर झांसा का शादी जाकर में घर उसके और किया फ़ोन लड़का कर देख अकेलेके साथ जबरन संबंध बनाया के लड़की .गया भाग से वहां लड़का उपरांत के करने हल्ला द्वारा के लड़की और बनाने संबंध जबरन . लिए के शादी को पक्ष दोनों द्वारा के लोगो स्थानीय बाद जिसके गया बताया को पिता-माता अपने :पुन द्वारा के मिलने जानकारी को वर्कर केस .गया बनाया दबावबाद इसपर हस्तक्षेप किया गया और क़ानूनी प्रक्रिया में जाने की सलाह दी गई हो तैयार लिए इसके भी पीडिता और गए हो तैयार पिता-माता के लड़की जिसपर . .हुआ दर्ज केस में थाना बाद जिसके .गई

सरवाईवर की वर्तमान स्थित -

वर्तमान में पीडिता की शादी अन्य स्थान पर कर दी गई है और केस जारी है.

टीमकाअवलोकन -

संस्था की टीम के द्वारा पाया गया की घटना सही है जिसके कारण पीडिता को प्रत्येक स्तर पर मदद करने की बात की गई.

घटनासेसंबंधितदस्तावेज संस्था द्वारा के पिता-माता उसके और पीडिता है नहीं दस्तावेज संबंधित से घटना — आवे गए दिए मेंदन की कॉपी उपलब्ध है .

फ़ॉलोअप-

केस वर्कर के द्वारा पीडिता के माता जा लिया जानकारी सम्बन्धी से केस में अंतराल नियमित साथ के पिता-.है रहा

#### केस स्टडी-11

पीडिता का नामः- रंजु कुमारी (काल्पनिक नाम) आयु - 16

धर्म - हिन्दु (सनातन)

जित - SC

पिता का नाम - बिजुली भुइयाँ माता का नाम - मालती देवी पता - सिमरिया, चतरा झारखण्ड़ गाँव का नाम - सिमरिया

पंचायत – बंहेन ब्लॉक -सिमरीया, जिला - चतरा फोन नं. -

द्वितीय पक्ष (आरोप) नाम- अमित कुमार आयु- 22

धर्म- हिन्दु (सनातन)

जति- OBC

पिता का नाम - बबलु राम माता का नाम - किरण देवी पता- सिमरिया, चतरा, झारखण्ड़ गाँव - सिमरिया पंचायत-बन्हें, ब्लॉक सिमरिया,जिला-चतरा

केस का प्रकार - शारीरिक/यौनिक हिंसा

घटना का संज्ञान (केस आपके पास किस माघ्यम से पहुंची)

चाइल्ड लाइन के माध्यम से तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचया-

जतन प्रशिक्षक अनिता मिश्रा/चाइल्ड लाइन सदस्य सरोज तिर्की एवं राकेश गंझू

सामाजिक/कानूनी हस्तक्षेप-

कानूनी हस्तक्षेप FIR हो चुका हैं अपराधी जेल में हैं, लडकी का 164 का बयान हो

गया हैं।

संस्था द्वारा हस्तक्षेप - कानूनी हस्तक्षेप FIR में मदद किया गया क्योंकि पिडिता ैब् समुदाय से हैं इसलिए इस केस को कई वर्षों से दबाया जा रहा था। जतन के मदद से थ्म् हुआ लडका जेल में हैं उस पर पोक्सो एक्ट लगा हैं। तथ्यशोधन प्रक्रिया- जतन कार्यकर्ता के द्वारा गाँव जाकर पिड़िता उनके माता-पिता पड़ोसी एवं वार्ड सदस्य से बात किया गया जिसमें लोगों ने कहा कि 2-3 वर्षों से इसके साथ शोषण हो रहा था।

चर्चा का सार - पड़ोसियों ने कहा कि पिड़िता के साथ शादी के झांसा देकर कई वर्षों से यौन शोषण करता था पिड़िता के द्वारा इनकार करने पर कई बार मार-पिट तथा फोटो वायरल करने का धमकी देता था पिड़िता समाजिक तथा उस लड़के के डर से सब सहन कर रही थी।

टीम का अवलोकन - घटना स्थान पर जाने से पता चला कि लडके के द्वारा मार-पिट तथा यौन

शोषण किए जाने के कारण लडकी फांसी लगाकर आत्म हत्या करने का कोशिश की।

घटना से संबंधित दस्तावेज- FIR कॉपी

फॉलो अप - कभी-कभी उसके घर जाकर मिलते हैं और जानकारी भी लेते हैं कि -द्वितिय पक्ष के

द्वारा बराबर केस उठाने का दवाब बनाया जा रहा हैं, परन्तु पिड़िता के माता-पिता केस उठाने से इनकार कर दिया गया हैं।

#### केस स्टडी-12

पीड़िता का नाम - मंजु कुमारी (काल्पनिक) आयु - 16 वर्ष

धर्म -सरना जति - ST

पिता का नाम - जगेश्वर उरॉव (काल्पनिक) माता का नाम -

गाँव - चायबासा

पंचायत- ब्लॉक जिला

फोन नं. -

द्वितीय पक्ष (आरोप) नाम - प्रयाग महतो आयु - 23वर्ष

धर्म - हिन्दू जाति- OBC

पिता का नाम- माता का नाम- पता-

गॉव - सिकरी मोड़

पंचायत - पुण्डरा, ब्लॉक- सिमरिया, जिला- चतरा फोन नं.-

केस का प्रकार -

घटना का प्रकार-

घटना का संज्ञान- (केस आपके पास किस माध्यम से पहुंची)- चाइल्ड लाइन के माध्यम से बताया गया कि एक लडकी हैं, जो नाबालिक हैं।

तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचय-

अनिता जतन के प्रशिक्षक और LPK कार्यकर्ता राकेश गंझू व सुनिल ठाकुर। सामाजिक/कानूनी हस्तक्षेप - मुखिया, वार्ड सदस्य, जतन कार्यकर्ता तथा चाइल्ड लाइन के टीम के मौखिक हस्तक्षेप से लडकी अपने पिता के घर चली गई।

संस्था द्वारा हस्तक्षेप - संस्था के द्वारा लड़के के माता-पिता से मिलकर उन्हें बताया

गया कि आपका बेटा - प्रयाग महतो जिस लड़की से शादी किया हैं, वो एक नाबालिक लड़की हैं। साथ-साथ वह घरेलु काम कार्य कर जीव को पार्जन कर रही हैं। लड़के के माता-पिता तथा जिनके मकान में किराये पर दोनों रह रहे थे उनके द्वारा लड़की की पिता को फोन कर बुलाया गया। और जतन कार्यकर्ता के द्वारा उन्हें बताया गया कि बाल-विवाह और बाल- मजदूरी दोंनों कानून अपराध है। अभी आप अपनी बेटी के साथ लेकर जाइए 18 वर्ष होने के बाद विवाह कर सकते हैं और पंजीकरण कर काम करने जा सकती हैं।

#### केस स्टडी-13

सरवाईवर का नाम - दुखनी देवी 37 वर्ष , फेकन देवी 49 वर्ष महिला— अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष / महिला दिव्यांग- नहीं धर्म — हिंदू जाति— तेली पिता का पति/नाम— करवा साहू , विमल साहू माता का नाम- पता - गाँव — कसडेगा पोस्ट -पंडरीपानी थाना- ठेठईटांगर पंचायत. टुकू पानी\_ब्लॉक.. ठेठईटांगर जिला\_सिमडेगा फ़ोन नं—.

#### द्वितीय पक्ष

नाम- बेबी कुमारी, गुड्डी देवी, रविंद्र साहू आयु – 16 वर्ष 40 वर्ष 45 वर्ष धर्म — हिंदू जाति- तेली पिता का नाम- रविंद्र साहू

माता का पत्नी/नाम- गुड्डी देवी

पता -

गाँव – कसडेगा

पोस्ट पंडरीपानी थाना ठेठईटांगर

पंचायत. टुकू पानी ब्लॉक.. ठेठईटांगर जिला सिमडेगा फ़ोन नं-.

केस का प्रकार – डायन बिसाही

घटना का संज्ञान आपके केस)पास किस माध्यम से पहुँची- ( प्रवासी मंच

तथ्य शोधन दल के सदस्यों का परिचय- प्रवासी मंच के सदस्य, स्थानीय वार्ड सदस्य, जतन कार्यकर्ता कमला कुल्लू

सामाजिक /क़ानूनी हस्तक्षेप- समाज के लोगों के द्वारा स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित कर दोनों परिवारों के बीच आवश्यक जानकारी देते हुए समझौता कराया गया

संस्था द्वारा हस्तक्षेप- बैठक आयोजित कर दोनों परिवारों के बीच आवश्यक जानकारी देते हुए समझौता तथा हॉस्पिटल में इलाज कराया गया।

तथ्यशोधनप्रक्रिया - घटना की जानकारी होने पर प्रवासी मंच, जतन कार्यकर्ता एवं स्थानीय वार्ड मेंबर के द्वारा संबंधित परिवार से भेंटवार्ता कर घटना की विस्तृत जानकारी ली गई। तत्पश्चात एक बैठक आयोजित कर दोनों परिवारों के बीच आवश्यक जानकारी देते हुए समझौता कराया गया।वर्तमान में दोनों परिवार के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है।

चर्चाकासार- दिनांक 14 जनवरी 2023 बेबी कुमारी आयु 16 वर्ष को बार-बार दौरा पड़ने लगा। हॉस्पिटल में इलाज कराया गया लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। कुछ देर ठीक होती फिर दौरा पड़ता। वास्तव में कुछ दिन पहले दुखनी देवी की बेटी राखी के साथ लड़ाई हुई थी। बीमार होने पर उसी का नाम लेकर बेहोश

हो रही थी। बेबी के माता-पिता को राखी की मां दुखनी देवी एवं मौसी फेकन देवी पर शक होने लगा की बच्ची पर तांत्रिक जादू टोना कर बच्ची को सताया जा रहा है। परिवार वाले राखी के परिवार में जाकर डायन बिसाही का आरोप लगााते हैं। दोनों परिवार के बीच झगड़े शुरू हो गई।

परिवार द्वारा स्थानीय प्रवासी मंच को जानकारी दी गई। प्रवासी मंच के सदस्य स्थानीय वार्ड मेंबर एवं जतन कार्यकर्ता कमला कुल्लू द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। दोनों परिवार के सदस्यों को बुलाया गया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। चर्चा के उपरांत दोनों परिवारों को समझाते हुए अंधविश्वास नियंत्रण के लिए शिक्षा दी गई एवं समझौता कराया गया। दोनों परिवार आपसी मनमुटाव दूर करने के लिए सहमत हुए। बेबी कुमारी का इलाज डॉक्टर के द्वारा कराने की सलाह दी गई। अभी आपसी मनमुटाव नहीं है। अंधविश्वास के कारण लोग एक दूसरे से उलझते हैं।

सरवाईवरकीवर्तमानस्थित - आपसी मनमुटाव अभी नहीं है। अभी दोनों परिवार ठीक है।

टीमकाअवलोकन - अंधविश्वास के कारण लोग एक दूसरे से उलझते हैं।

घटनासेसंबंधितदस्तावेज – बैठक का मिनटस

फ़ॉलोअप- जतन कार्यकर्ता कमला कुल्लू एवं प्रवासी मंच द्वारा पीड़ित परिवार के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है।

### केस स्टडी 14

सरवाईवर का नाम अंकित कुल्लू आयु – 12 वर्ष महिलापुरुष – अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष / दिव्यांग- नहीं धर्म – ईसाई जाति– खड़िया पिता का पति/नाम- स्वर्गीय अल्बिन्स कुल्लू माता का नाम- स्वर्गीय अल्मा कुल्लू पता - गाँव – कसडेगा पोस्ट -पंडरीपानी थाना- ठेठईटांगर पंचायत. टुकू पानी\_ब्लॉक.. ठेठईटांगर जिला\_सिमडेगा फ़ोन नं-. द्वितीय पक्ष नाम- दीपक कुल्लू आयु – 27 वर्ष

धर्म – ईसाई

जाति- खड़िया

पिता का नाम- स्तानिसलास कुल्लू

माता का पत्नी/नाम- उर्सेला कुल्लू

पता -

गाँव – कसडेगा पोस्ट पंडरीपानी थाना ठेठईटांगर पंचायत. टुकू पानी\_ब्लॉक.. ठेठईटांगर जिला सिमडेगा फ़ोन नं-. केस का प्रकारबाल - मजदूरी

घटना का संज्ञान आपके केस)पास किस माध्यम से पहुँची- ( प्रवासी मंच तथ्य शोधन दल के सदस्यों का परिचय - संस्था कार्यकर्ता कमला कुल्लू , महादेव सिंह सामाजिक /क़ानूनी हस्तक्षेप- स्थानीय अभिभावकों के द्वारा अंकित कुल्लू एवं उसके अभिभावक मोरेस्टेला कुल्लू को आवश्यक जानकारी देते हुए प्रेरित किया गया संस्था द्वारा हस्तक्षेप-

- प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को अधिनियम की जानकारी देते हुए परामर्श करना
- विद्यार्थी को समाज कल्याण विभाग के स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम से जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया

#### तथ्यशोधनप्रक्रिया

- घटना की जानकारी होने पर प्रवासी मंच, संस्था के कार्यकर्ता कमला कुल्लू एवं महादेव सिंह के द्वारा संबंधित परिवार से भेंटवार्ता कर घटना की विस्तृत जानकारी ली गई। तत्पश्चात परामर्श कर बाल मजदूरी अधिनियम की जानकारी दी गई एवं अंकित को रोज स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। चर्चाकासार-

अंकित कुल्लू 12 वर्षीय एक अनाथ बालक है ,जिसके माता-पिता का निधन हो गया है । वह अपने अभिभावक मोरेस्टेला कुल्लू के साथ रहता है। अंकित अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित आरसी प्राथमिक विद्यालय पंडरीपानी में क्लास 5 का विद्यार्थी है। अंकित पिछले 20 दिनों से एक ईंट भट्टे के मुंशी दीपक कुल्लू की बातों में आकर ईंट भट्टा काम करने के लिए जाता था। अर्थात पिछले 20 दिनों से वह स्कूल नहीं जाता था। इस परिस्थिति में स्कूल के शिक्षक श्री सुबोध बिलुंग के द्वारा स्थानीय अभिभावकों को सूचना दी गई की अंकित लगातार अनुपस्थित रह रहा है। यह जानकारी संस्था के कार्यकर्ता कमला कुल्लू को भी मिली । इसके बाद अंकित के साथ उसके अभिभावक मोरेस्टेला कुल्लू को भी परामर्श कर बाल मजदूरी अधिनियम की जानकारी दी गई एवं रोज स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। ईंट भट्टे के मुंशी दीपक कुल्लू को भी आगाह किया गया की फिर से किसी को बाल मजदूरी के लिए प्रेरित ना करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंकित कुल्लू के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सरवाईवर की वर्तमान स्थित - अभी अंकित सकुशल है और विद्यालय जा रहा है।

टीमकाअवलोकन - मुंशी दीपक कुल्लू द्वारा बहकावे में आकर विद्यार्थी अंकित कुल्लू को स्कूल से रूचि कम हो गई थी और बाल मजदूरी की ओर मन लग गया था घटना से संबंधित दस्तावेज – मौखिक परामर्श

फ़ॉलोअप- जतन कार्यकर्ता कमला कुल्लू एवं प्रवासी मंच द्वारा पीड़ित परिवार के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है।

#### केस स्टडी -15

सरवाईवर का नाम छोटी कुमारी महिला आयु – 15 वर्ष महिला महिला – अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष / दिव्यांग- नहीं धर्म - हिंदू जाति- घासी अनुसूचित जाति पिता का पति/नाम- राधा नायक माता का नाम- स्वर्गीय पता - गाँव – कुडपानी पोस्ट - लठाखमहन थाना- ठेठईटांगर पंचायत. कोनमेंजरा ब्लॉक.. ठेठईटांगर जिला सिमडेगा फ़ोन नं-. द्वितीय पक्ष नाम- संतु केरकेट्टा एवं हीरालाल आयु – धर्म - जाति-पिता का नाम-माता का पत्नी/नाम-पता -गाँव – संतु केरकेट्टा - त<u>ाम</u>डा <u>सिमडेगा</u> हीरालाल - नई दिल्ली

पंचायत. ब्लॉक.. जिला फ़ोन नं-.

केस का प्रकारबाल - मजदूरी एवं मानव तस्करी

घटना का संज्ञान आपके केस)पास किस माध्यम से पहुँची- (बालिका के अभिभावक बड़े भाई गंगा नायक के द्वारा आवेदन

तथ्य शोधन दल के सदस्यों का परिचय - laLFkk कार्यकर्ता कमला कुल्लू , egknso flag सामाजिक /क़ानूनी हस्तक्षेप— जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से केस पर कार्यवाही के लिए लिखित आवेदन अग्रसारित किया गया है

संस्था द्वारा हस्तक्षेप-

• जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से केस पर कार्यवाही के लिए लिखित आवेदन अग्रसारित किया गया है

तथ्य शोधनप्रक्रिया - घटना की जानकारी होने पर प्रवासी मंच, संस्था के कार्यकर्ता कमला कुल्लू एवं egknso flag के द्वारा संबंधित परिवार से भेंटवार्ता कर घटना की विस्तृत जानकारी ली गई। जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से केस पर कार्यवाही के लिए लिखित आवेदन अग्रसारित किया गया है चर्चाकासार-

मां के निधन के बाद 15 वर्षीय बालिका छोटी कुमारी लगभग 3 वर्ष पूर्व अपने घर से तामडा सिमडेगा निवासी संतु केरकेट्टा के बहकावे में आकर रोजगार की तलाश में उसके साथ दिल्ली चली गई। जाने के बाद लगभग तीन चार महीने तक फोन पर बात होती थी। लेकिन उसके बाद परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिवार में उसके पिता एवं उसका बड़ा भाई है। सभी लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं जिस कारण बालिका का ध्यान रखने वाला घर में कोई नहीं रहा। वर्तमान में गुजरात से घर लौटने पर बहन के लापता की स्थिति में उसके बड़ा भाई गंगा नायक के द्वारा उसकी खोज करते हुए संस्था के पास आवेदन जमा किया गया है।

सरवाईवरकीवर्तमानस्थित - लापता है।

टीमकाअवलोकन - मानव तस्करी की घटना है।पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता है जिसके लिए जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से प्रक्रिया आरंभ की गई है।

घटनासेसंबंधितदस्तावेज -

जिला बाल कल्याण समिति को लिखा गया आवेदन

परिवार से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति

छोटी कुमारी के आधार कार्ड की छाया प्रति की

फ़ॉलोअप- कार्यकर्ता कमला कुल्लू महादेव सिंह एवं प्रवासी मंच द्वारा पीड़ित परिवार के साथ लगातार संपर्क

बना हुआ है।

केस स्टडी -16

पीडिता का नाम महतो पहलू -

आयु 45-बर्ष

धर्म हिन्दू -

जाति तेली -

पिता का नाम महतो चमरू -

माता का नाम देवी बसन्ती -

पताडूमरदगा -

पंचायत बिरहु -

ब्लौक खूंटी -

जिला झारखंड ,खूँटी -

फोन न० 9668469629 -

द्वितीय पक्ष -

नाम मुबारक अंसारी

आयु 40-

धर्म मुस्लिम -

पता अहमदाबाद -

फोन न० 9110142452 -

केस का प्रकार करता टालमटोल पर मांगने पैसा बार-बार ठेकेदार .मिलाना नहीं पैसा का मजदूरी में उड़ीसा -|था

घटना का संज्ञानद् फोन से माध्यम के कार्यक्रम जागरूकता और बैठक सभा श्रम द्वारा बैठक मंच प्रवासी -वारा संपर्क कर पहुंचा गया |

तथ्यशोधक दल के सदस्य का परिचय-

चरक लोहरा

चरण प्रधान

बिरसा मुण्डा

पहलू हमतो

बीरबल महतो

अनिल मुण्डा

इन सभी लोगो ने मजदूरी नहीं मिलाने पर संस्था से मदद माँगी.

सामाजिक संस्था ,विभाग श्रम – हस्तक्षेप क़ानूनी /SGVV वर्कर फिल्ड ,

मजदूरों द्वारा श्रम विभाग में आवेदन दिलवाया गया के मजदूरी इन कर संपर्क द्वारा फोन से ठेकेदार फिर | | गयी की बात में बारे के मजदूरी

संस्था द्वारा हस्तक्षेप मजदूर और गयी समझाई प्रक्रिया सारी और गया किया सम्पर्क से माध्यम के फ़ोन-| गए भी कार्ययालय

तथ्यशोधनप्रक्रिया मजदूरी उनकी कर बुला वही उन्हें क्योंकि गए पर स्थल कार्य अपने मिलकर मजदूर सभी – | गया किया भुगतान का

चर्चाकासार 1 उनकी उन्हें और थे में सम्पर्क के विभाग श्रम रऔ संस्था बराबर से माध्यम के फ़ोन मजदूर -| गया करवाया भी भुक्तान का मजदूरी हजार 30 लाख

सरवाईवरकीवर्तमानस्थित दिहाड़ी में क्षेत्रों के आसपास अपने कर रह ही में गाँव अपने मजदूर सभी अभी – | हैं करते पोषण भरन का परिवार अपने और हैं करते मजदूरी टीमकाअवलोकन संस्था-SGVV और श्रम विभाग मजदूरों को उनके हक की मजदूरी दिलवाने में सफल रहें |

घटनासेसंबंधितदस्तावेज -

फ़ॉलोअप| रहे लेते भाग भी मजदूर में बैठक और है रही करती संपर्क से मजदूरों संस्थाहमेशा -

केस स्टडी -17

पीडिता का नाम देवी सीनी -

आयु 27 -वर्ष

धर्म सरना -

जाति मुण्डा -

पति का नाम मुण्डा शिव -

माता का नाम -

पताबेलव ०पो ,टोली नीचे ,बगडू ग्राम -ादाग खूंटी जिला ,

पंचायत तिरला -

ब्लाक खूंटी -

जिला झारखंड ,खूँटी -

फोन न० 8292206227 -

द्वितीय पक्ष -

नाम -

आयु-

धर्म -

पता -

फोन न० -

केस का प्रकार राशन इन्हें | लड़की एक और लड़का एक | हैं बच्चें दो इनके | हैं महिला विधवा एक देवी सीमा - कर मांग भीख देवी सीमा | है नहीं प्राप्त सुविधा सरकारी भी कोई जैसी पात्र प्रमाण दिव्यांग ,खाता बैंक ,कार्ड इनक साथ इनके | हैं भरती पेट का बच्चों अपने और अपना े एक चाचा भी रहते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ | हैं (पागल)

घटना का संज्ञान | गया लिया संज्ञान का घटना दौरान के बैठक की मंच प्रवासी -

तथ्यशोधक दल के सदस्य का परिचय की चर्चा पर विषय इस मिलकर से ,दीदी सेतु ,महिला सक्रीय ,वार्ड जैसे -| गयी

सामाजिक | रहा हस्तक्षेप का दीदियों सक्रीय एवं दीदियों वार्ड की गाँव – हस्तक्षेप क़ानूनी /

संस्था द्वारा हस्तक्षेप उन्हें कर बात से दीदी वार्ड | गए घर उनके लोग के लोग के संस्था –DC आफिस के प्रज्ञा केंद्र पर ले जाकर उनका आधार कार्ड बनवाया गया और बैंक में उनका एक बचत खाता खुलवाकर उनका पास बुक बनवाया गया |

तथ्यशोधनप्रक्रिया | किया काम मिलकर साथ उनके और मिले से दीदी सेतु, पार्षद वार्ड लोग के संस्था — चर्चाकासार खाता में बैंक और प्रमाणपत्र मृत्यु, बनवाने पात्र प्रमाण दिव्यांग, बनवाने कार्ड आधार में बैठक - खुलवाने की बात सभी प्रतिभागियों के सामने रखी गयी के बच्चे से सहमती के प्रतिभागियों सभी बाद उसके | गयी रखी बात की नामांकन में स्कुल के गावं

सरवाईवरकीवर्तमानस्थित की होने खराब हाथ उसका | है दयनीय ही बहुत स्थिति वर्त्तमान की पीडिता — जब गाँव | है नहीं भी कुछ लिए के खाने पास उसके | सकती कर नहीं काम वह से वजहSHG की बैठक होती है तो बैठक में सम्मिलित सभी दीदी उसे एक एक मुठ्ठी चावल देती है और कभी उसे कर इकठ्ठा चन्दा कभी-दिव्यांग भी पित के देवी सीनी | है की साल डेढ़ लड़की और का वर्ष 3 लड़का उसका | है जाता दिया भी पैसा थे | है चुिक हो मृत्यु उनकी ही पूर्व वर्ष कुछ |

टीमकाअवलोकन | गया खुलवाया भी खाता में बैंक और गया बनवाया कार्ड आधार का देवी सीनी पीडिता – | गयी कि मांग की देने चावल किलो 5 में माह उन्हें कर बात से डीलर राशन

घटनासेसंबंधितदस्तावेज और कार्ड आधार का पीडिता- फोटो

फ़ॉलोअप ये और है रहते पूछते हालचाल उसका जाकर ख़ुद पास के पीडिता पर समय समय लोग के संस्था -| ना है नहीं तो कमी कोई और नहीं की है होता प्राप्त चावल उन्हें से डीलर की है पूछते भी

#### केस स्टडी -18

सरवाईवर का नाम - संतोष मुर्मू

आयु – 34 वर्ष

महिला /पुरुष- अन्य/ट्रांसजेंडर/ पुरुष

दिव्यांग- नहीं

धर्म – सरना

जाति – संथाल

पिता- नाम का पति/ मदन मुर्मू

माता का नाम - सोनामुनी मुर्मू

पता -


गाँव - कावड़िया

पंचायत - पांदनपहाड़ी

ब्लॉक - काठीकुण्ड. जिला - दुमका

फ़ोन नं–.

द्वितीय पक्ष - नहीं है



सामाजिक– हस्तक्षेप क़ानूनी / मुखिया एवं ग्राम प्रादान द्वारा समस्या का समाधान करने में सहयोग किया गया .

संस्था द्वारा हस्तक्षेप – संस्था के कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 24.02.2023 को पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी . बैठक में ग्राम प्रधान ने भी भाग लिया . बैठक में निर्णय लिया गया की संबंधित ठेकेदार से वार्ता कर संतोष मुर्मू का पूरा भुगतान करवाया जायेगा . संस्था के कार्यकर्ता के पहल से मुखिया एवं ग्राम प्रधान का सहयोग लेकर समस्या का समाधान हो पाया .

तथ्य शोधन प्रक्रिया - स्संस्था के कार्यकर्ता के पहल से मुखिया एवं ग्राम प्रधान का सहयोग लेकर ठेकेदार से वार्ता कर संतोष मुर्मू का पूरा भुगतान करवाया गया .

चर्चा का सार- संतोष मुर्मू और अन्य ग्रामीण तुडकू के एक ठेकेदार के साथ काम करने के लिए कश्मीर गए थे . कश्मीर में इन लोगों को रास्ते में जमा बर्फ को साफ़ करने का काम करवाया जाता था . कश्मीर में अधिक ठण्ड रहने के कारण संतोष मुर्मू वापस अपने गाँव आ गया . ठेकेदार के द्वारा उसे पूरी मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया . JATN के कार्यकर्ता को माइग्रेंट फोरम की बैठक करने के दौरान ग्रामीणों से घटना की जानकारी प्राप्त हुई . कार्यकर्ता द्वारा पंचायत के मुखिया एवं ग्राम प्रधान की सहमति से इस समस्या का समाधान करने के लिए दिनांक 24.02. 2023 को एक विशेष बैठक बुलाई गयी . संतोष मुर्मू की पूरी मजदूरी का भुगतान ठेकेदार से करवाया गया .

सरवाईवर की वर्तमान स्थित - संतोष मुर्मू को पूरी मजदूरी मिल गयी है और अभी वो गांव में ही अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है .

टीम का अवलोकन -

घटना से संबंधित दस्तावेज - सरवाईवर का बैंक खाता .

फ़ॉलोअप - संतोष मुर्मू को सम्पूर्ण मजदूरी राशि का भुगतान हो गया है .

केस स्टडी -19

सरवाईवर का नाम - मदन मुर्मू

आयु – 60 वर्ष

महिला- अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष / पुरुष

दिव्यांग- नहीं

धर्म – सरना

जाति – संथाल

पिता- नाम का पति/ रिगाई मुर्मू


माता का नाम -

पता -

गाँव -कोदालछोला

पंचायत - कदमा ब्लॉक- काठीकुण्ड जिला.- दुमका

फ़ोन नं-.



सामाजिक- हस्तक्षेप क़ानूनी /

संस्था द्वारा हस्तक्षेप – मदन मुर्मू द्वारा 30. 11. 2021 को आवेदन जमा करने के बाद भी वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला। संस्था के कार्यकर्ता के द्वारा आपकी योजना आयोजित तहत के द्वार आपके- सरकार आपकी-करवा जमा आवेदन पुनः में दरबार जनताया गया।

तथ्यशोधन प्रक्रिया - आपकी योजना में दरबार जनता आयोजित तहत के द्वार आपके- सरकार आपकी- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन जमा करवाया गया।

चर्चा का सार- मदन मुर्मू और उसकी पत्नी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मदन मुर्मू की उम्र 60 वर्ष है। इनकी एक बेटी है, जिसकी शादी हो गयी है। बेटी ससुराल में रहती है और ये दोनों अकेले रहते है एवं कोई काम कर के अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। । गांव में आयोजित बैठक में चर्चा के दौरान सहिया ने संस्था के कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता द्वारा जनता दरबार में पुनः आवेदन जमा करनवाने की करवाई की गयी

सरवाईवर की वर्तमान स्थित - सरवाइवर की स्थिति अच्छी नहीं है। इस वर्ष काम वर्षा कारण खेती नहीं हो पायी, जिस कारण जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये परिवार गाय बैल बेचकर अपना खर्चा चला रहे हैं।

टीम का अवलोकन - संस्था अंतर्गत JATN के कार्यकर्ता की टीम इस मुद्दे का नियमित फॉलो अप कर रहे हैं . घटना से संबंधित दस्तावेज - आधार कार्ड , वोटर आईडी , बैंक पासबुक, आवेदन जमा करने का पावती रसिद फ़ॉलोअप- संस्था के क्षेत्रीय कार्यकर्ता द्वारा इस मुद्दे का फॉलोअप किया जा रहा है , लेकिन वृद्धा पेंशन का लाभ अभी तक लाभुक को नहीं मिला है।

#### केस स्टडी -20

सरवाईवर का नाम (नाम काल्पनिक) कुमारी किरण -

आयु 13 –

महिला महिला – अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष /

दिव्यांग नही -

धर्म हिन्दू -

जाति सोनार –

पिता सोनार राहुल – नाम का पति/

माता का नाम देवी मैवा -

पता –

गाँव चन्दलासो -

पंचायत चन्दलासो - लोहरदगा - जिला, कुडू -ब्लॉक,

फ़ोन नं-.

```
द्वितीय पक्ष
नाम मोची कृष्णा -
आयु 61 –
धर्म सरना -
जाति मोची -
पिता का नाम मोची लदा .स्व -
माता- नाम का पत्नी/
पता -
गाँव चन्दलासो -
पंचायत लोहरदगा – जिला , कुडू – ब्लॉक , चन्दलासो –
फ़ोन नं – .
केस का प्रकार तस्करी मानव -
घटना का संज्ञान SHG – (पहुँची से माध्यम किस पास आपके केस)द्वारा घटना की जानकारी दिया गया |
तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचय अंसारी कयूम अब्दुल – कार्यकर्त्ता क्षेत्रीय स्पार्क –
```

सामाजिक हस्तक्षेप क़ानूनी – हस्तक्षेप क़ानूनी /

संस्था द्वारा हस्तक्षेप कार्यकत्ता क्षेत्रीय स्पार्क हेतु सहयोग के (नाम काल्पनिक) कुमारी किरण सरवाईवर — में थाना कुडू अनुसार के आवेदन गए दिए द्वारा के पिता — माता के कुमारी किरण द्वारा अंसारी कयूम अब्दुल है गई कराई दर्ज प्राथमिकी

तथ्यशोधन प्रक्रिया गा —ँव की सहिया और सरवाईवर की माँ से मुलाकात किया गया और सरवाईवर किरण कुमारी से संबंधित जानकरी लिया गया |

चर्चा का सार गाँव अपने कैसे बच्ची कि गया लिया जानकारी की केस मिलकर से पिता – माता के सरवाईवर – | गई हो लापता और गई करने काम बाहर से

सरवाईवर की वर्तमान स्थित | है लापता सरवाईवर -

टीम का अवलोकन | है लापता अभी वह है पाई हो नही प्राप्त जानकारी कोई संबंधित से सरवाईवर -

घटना से संबंधित दस्तावेज -

फ़ॉलो अप | है गया बनाया संपर्क से पिता – माता के कुमारी किरण सरवाईवर से रूप लगातार –

#### केस स्टडी-21

सरवाईवर का नाम(नाम काल्पनिक) देवी किरण, देवी पूनम –

आयु 30,28 –

महिला महिला - अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष /

दिव्यांग नही -

```
धर्म हिन्दू -
```

जाति हरिजन –

पिता राम रामवतार, राम कालेश्वर – नाम का पति/

माता का नाम -

पता – मसमानो

गाँव मसमानो -

पंचायत मसमानो - भंडर -ब्लॉक,ा लोहरदगा – जिला,

फ़ोन नं– .

### द्वितीय पक्ष

नाम अंसारी तकीबुल -

आयु 36 –

धर्म इस्लाम -

जाति मुस्लिम -

पिता का नाम अंसारी हबीब -

माता- नाम का पत्नी/

पता सोता बाल -

गाँव सोता बाल -

पंचायत लोहरदगा – जिला , भंडरा – ब्लॉक ,उदरंगी –

फ़ोन नं – .

केस का प्रकार तस्करी मानव -

घटना का संज्ञान SHG - (पहुँची से माध्यम किस पास आपके केस)बैठक के दौरान

तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचय अंसारी कयूम अब्दुल – कार्यकर्ता क्षेत्रीय स्पार्क –

सामाजिक हस्तक्षेप क़ानूनी – हस्तक्षेप क़ानूनी /

तकीबुल अंसारी को लोहरदगा 370,363 – धारा की IPC द्वारा थाना AHTUऔर रफ्तारिग तहत के 34 | है गया भेजा जेल और है गया लिया कर

संस्था द्वारा हस्तक्षेप पुरे मिलकर से रूप व्यक्तिगत से (नाम काल्पनिक) देवी किरण, देवी पूनम सरवाईवर – क्षेत्रीय स्पार्क | है गया लिया जानकारी की मामलेकार्यकत्ता अब्दुल कयूम अंसारी के सहयोग से सरवाईवर की अनुमति व आवेदन से तकीबुल अंसारी को लोहरदगा | है गया कराया दर्ज मामला में थाना AHTU

चर्चा का सार घट की घटना की ठगी हुई साथ अपने ने दोनों और से सरवाईवर दोनों और सिहया –ना साझा किया |

सरवाईवर की वर्तमान स्थित हैं रही कर मजदूरी में गाँव अपने और हैं में गाँव अपने सरवाईवर दोनों -

टीम का अवलोकन लोहरदगा को और है हुई घटित घटना की तस्करी मानव साथ के सरवाईवर दोनों -|है गया कराया दर्ज मामला में थाना AHTU

घटना से संबंधित दस्तावेज -

फ़ॉलो अप | है में जेल अभी आरोपी -

#### केस स्टडी-22

सरवाईवर का नाम (नाम काल्पनिक) कुमारी सोनी और कुमारी प्रिया –

आयु 20 -

महिला महिला – अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष /

दिव्यांग नही -

धर्म हिन्दू -

जाति राजपूत –

पिता सिंह शशिभूषण – नाम का पति/

```
माता का नाम -
पता –
गाँव टोली कटहल -
पंचायत उगरा - लोहरदगा – जिला, सेन्हा -ब्लॉक,
फ़ोन नं-.
द्वितीय पक्ष
नाम ,(32) सिंह शशिभूषण –बलराम सिंह ,(60)ब्युम्केश सिंह ,(29)रिव सिंह ,(25)गुड़िया देवी (22)
आयु -
धर्म हिन्दू -
जाति राजपूत –
पिता का नाम सिंह बलराम -
माता- नाम का पत्नी/
पता -
गाँव साहेर -
पंचायत लोहरदगा – जिला, नगड़ी – ब्लॉक, नगड़ी –
```

फ़ोन नं – .

केस का प्रकार उत्पीड़न दहेज़ -

घटना का संज्ञान – (पहुँची से माध्यम किस पास आपके केस)अन्य संस्था द्वारा घटना की जानकारी दिया गया |

तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचय अंसारी कयूम अब्दुल – कार्यकर्त्ता क्षेत्रीय स्पार्क – सामाजिक हस्तक्षेप क़ानूनी – हस्तक्षेप क़ानूनी /

प्रिया कुमारी द्वारा सेन्हा थाना में दहेज़ मांगे जाने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और थाना द्वारा केस में पहल करते हुए सभी आपोरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा गया है |

संस्था द्वारा हस्तक्षेप कार्यकत्ता क्षेत्रीय स्पार्क हेतु सहयोग के (नाम काल्पनिक) कुमारी प्रिया सरवाईवर — आरोपियों मिलकर से रूप व्यक्तिगत से पासवान कुमार धनंजय प्रभारी थाना सेन्हा द्वारा अंसारी कयूम अब्दुल विरुद के्ध कड़ी कार्यवाही हेतु मांग किया गया है |

तथ्यशोधन प्रक्रिया हुई साथ उनके और गया किया मुलाकात से सरवाईवर से सहयोग के सहिया की गाँव – | गया लिया जानकरी की घटना

चर्चा का सार समाज और गया लिया जानकारी की हिंसा वाले जाने किये साथ उनके मिलकर से सरवाईवर – दह मेंेज़ के नाम पर किये जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही किये जाने में संस्था द्वारा सहयोग किये जाएंकी बात कही गई है

सरवाईवर की वर्तमान स्थित | हैं में (मायके) घर के पिता – माता अपने सरवाईवर -

टीम का अवलोकन | है विचाराधीन मामला में कोर्ट ख़िलाफ के हदेज़ और है में मायके अपने अभी सरवाईवर -

घटना से संबंधित दस्तावेज कॉपी की FIR -

फ़ॉलो अप से कुमारी प्रिया और है रहा चल में कोर्ट अभी केस ,हैं गए आ बाहर से जेल अभी आरोपी सभी – |है रहे कर बातें की सुलह

#### केस स्टडी-23

सरवाईवर का नाम (नाम काल्पनिक) कुमारी मनीषा -

आयु 16 –

महिला महिला - अन्य/ट्रांसजेंडर/पुरुष /

दिव्यांग नही -

धर्म सरना -

जाति उराँव –

पिता उराँव राजकुमार – नाम का पति/

माता का नाम उराँव रानी –

पता –

```
गाँव हरियापुर –
पंचायत कुजरा - लोहरदगा - जिला, लोहरदगा -ब्लॉक,
फ़ोन नं-.
द्वितीय पक्ष
नाम उराँव अजय –
आयु 28 –
धर्म सरना -
जाति उराँव –
पिता का नाम उराँव सुखवा –
माताउराँव भिनसरिया – नाम का पत्नी/
पता -
गाँव टोली गुड़गुड़ भासको -
पंचायत लोहरदगा – जिला, लोहरदगा – ब्लॉक, अरकोसा –
फ़ोन नं – .
केस का प्रकार बालविवाह -
```

घटना का संज्ञान — (पहुँची से माध्यम किस पास आपके केस)फ़ोन द्वारा घटना की जानकारी दिया गया | तथ्यशोधन दल के सदस्यों का परिचय अंसारी कयूम अब्दुल — कार्यकर्त्ता क्षेत्रीय स्पार्क — सामाजिक ह सामाजिक — हस्तक्षेप क़ानूनी /स्तक्षेप मनीषा कुमारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर केस की जानकारी लिया गया है |

संस्था द्वारा हस्तक्षेप कार्यकत्ता क्षेत्रीय स्पार्क हेतु सहयोग के (नाम काल्पनिक) कुमारी मनीषा सरवाईवर — चाइ और है गया लिया पत्र आवेदन हेतु सहयोग केस द्वारा अंसारी कयूम अब्दुलल्डलाइन को बाल विवाह किये जाने से संबंधित जानकारी दिया गया है |

तथ्यशोधन प्रक्रिया मनीषा सरवाईवर और गया किया मुलाकात से सरवाईवर से सहयोग के सहिया की गाँव – | गया लिया जानकरी की घटना हुई साथ कुमारी

चर्चा का सार मिलकर से सिहया मकी गाँव और मां की सरवाईवर – सरवाईवर मनीषा कुमारी के बाल विवाह किये जाने की जानकारी लिया गया और उन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी दिया गया है | सरवाईवर की वर्तमान स्थित | हैं में घर अपने साथ के पिता – माता अपने सरवाईवर -

टीम का अवलोकन की है अवलोकन का टीम वाली करने हस्तक्षेप के केस – सरवाईवर मनीषा कुमारी पर दबाव डालकर उसका विवाह कराया जा रहा था लेकिन चाइल्डलाइन द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बाद सरवाईवर का बालविवाह रुकाया गया है |

घटना से संबंधित दस्तावेज कॉपी की कार्ड आधार का सरवाईवर -

फ़ॉलो अप पिता – माता के कुमारी मनीषा सरवाईवर –के साथ लगातार संपर्क बनाया गया जिससे उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी अपडेट रहे |

#### **Photographs:**

































### राज्यपालका अभिभाषण

# प्रवासी श्रिमिकों का बनेगा पंचायतवार डाटा बेस

20 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी राज्य सरकार

पोतिरिकत रिपोर्टर | घटना

राज्यपाल फाग चौहान ने बजट सत्र की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों से सेंट्रल हॉल में उप्मीद जताई कि सत्र में सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे और सभी सदस्य जिम्मेदारी के साथ सदन के संचालन में योगदान देंगे। कहा- सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस बनाया जाएगा। कोरोना के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक बिहार लौटे। उन श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई तथा उन्हें राज्य में ही अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से दलहन खरीद की व्यवस्था की जाएगी। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसिलिंग सेंटर बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत सात निरचय-2 का क्रियान्वयन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू हो जाएगा। सरकार के पहले निरचय युवा शिक्त-बिहार की प्रगति के तहत राज्य के सभी आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एवसीलेंस बनाए जाएंगे। जो युवा इन संस्थानों में नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए जिल्हों में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। सभी 9 प्रमंडलों में टूल रुम एवं ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा।

#### अभिभाषण के मुख्य सिन्द

- विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाए जाएंगे डिजिटल काउंसिलिंग सेंटर
- उद्यमिता संस्कृति के विकास के लिए उद्यमिता को बच्चों के कोर्स में शामिल किया जाएगा
- हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए लागू की जा रही नई 'बाल हृदय योजना'
- कोरोना महामारी से राहत पहुंचाने पर 10 हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई।
- स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण में विहार अव्वल, अवतक 4,95,792 का हुआ टीकाकरण
- संगठित अपराध पर कड़ाई
   से अंकुश, सामाजिक सौहाई
   एवं सांप्रदायिक सद्भाव का
   वातावरण कायम
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति कायम, निगरानी ब्यूरो ने 32 कांडों में कार्रवाई की
- ग्राम पंचायत सरकार भवनों में लोक सेवा के लिए काउंटर बनाए गए
- हर खेत तक पहुंचाया
   जाएगा सिंचाई का पानी
- गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में जैविक खेती, मौसम के अनुकूल खेती पूरे राज्य में

# सुरक्षित पलायन एवं महिला अधिकार विषय पर सेमिनार

भारकर न्यज पीरटांड

पीरटांड प्रखंड मुख्यालय सभागार में जागो फाउंडेशन की ओर से स्रिक्षत पलायन एवं महिला अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख सविता टुडू,बीडीओ दिनेश कुमार,सीओ विनय प्रकाश तिग्गा शामिल हुए। इस दौरान जागो फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पीरटांड प्रखंड में स्रक्षित संस्था जागरूकता फैलाने की काम कर रही है । जिसके तहत गांव स्तर पर प्रवासी मंच का गठन कर सुरक्षित पलायन के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित पलायन करने के लिए श्रम विभाग में निबंधन कराना कई तरह के परेशानियों से बचा जा



कार्यक्रम में शामिल लोग

# पलायन को बढ़ावा देने की दिशा में महिलाओं को भी समान काम के बदले संस्था जागरूकता फैलाने की काम समान मजदूरी मिलनी चाहिए:सविता दुडू

पर प्रवासी मंच का गठन कर सुरक्षित पलायन के बारे में विश्व संस्थाओं ने जतन सुरक्षित पलायन के बारे में नेटवर्क से सुरक्षित पलायन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित पलायन करने के निहला अधिकार पर चर्चा करते हुए प्रमुख सविता टुडू ने कहा कि सिरक्षित पलायन करने के निहलाएं पुरुषों के बराबर काम करती है, लेकिन इन्हें बराबर मजदूरी नहीं सिलता है। निबंधन कराने से का अधिकार है। इसे लेने के लिए महिलाओं को आग आना होगा। वहीं कई तरह के परेशानियों से बचा जा सकता है।

भारतभारताभा। (सस)

#### सुरक्षित पलायन के लिए श्रम विभाग में निवंधन जरूरी

गिरिडीह : सुरक्षित पलायन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जतन नेटवर्क के तहत ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से शनिवार को जागो फाउंडेशन ने पीरटांड़ प्रखंड मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रमुख सविता दुडू ने कहा श्रम विभाग में निबंधन जरूरी है। अंचल अधिकारी विनय प्रकाश तिरगा ने कहा निबंधन करें। बीडीओ दिनेश कुमार, मुख्या राम सागर किस्कू, पसंस सुशील सामवेल दुडू, मुखिया सोमर हेंबम ने भी विचार व्यवत किए।(संस)